कार्यालयः- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

क्रमांकः-स्था०/2025/ 150 दिनांकः- 25.7.25

-: कार्यालय-आदेशः-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Criminal Appeal No. 2544/2024 Titeled as Ibra@Ibran son of Mamrej V/s State Of Rajasthan में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 में अनुपस्थित कार्मिकों के सामूहिक अवकाश/हडताल को अवैध करार दिया है, जिसके अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा(आचरण) नियमों की अवहेलना मानते हुए धौलपुर न्यायक्षेत्र में दिनांक 18.07.2025 से स्वेच्छया अविधिक रूप से अनुपस्थित चल रहे कर्मचारीगण को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 25.07.2025 को प्रातः 10.00 बजे अपने पदीय कर्तव्यों पर उपस्थित रहें अन्यथा अस्थायी कार्य व्यवस्था करते हुए परिवीक्षाधीन कर्मचारीगण के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियमों/राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को सूचित किया जावेगा। अग्रिम आवश्यक व उचित कार्यवाही हेतु अस्थायी कार्य व्यवस्था के दौरान कोई अभिलेख/दस्तावेज गुम होने का दायित्व उस कर्मचारी का होगा, जो उस विशेष सीगे पर स्थायी रूप से तैनात है तथा जिसे अभिलेख के रखरखाव का कार्य सौपा गया है।

25/07/2025 9.00 AM

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर

क्रमांक- स्था./2025/ 2535-37 दिनांक- 25.7.25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

1. श्रीमान पीठासीन अधिकारीगण, समस्त न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/किशोर न्याय बोर्ड धौलपुर न्यायक्षेत्र को प्रेषित कर लेख है कि अनुपस्थित अधीनस्थ कार्मिकों को जरिये ई मेल/वाट्सएप पर सूचित करावें व आदेश की प्रति न्यायालय/प्राधिकरण/बोर्ड के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर कराई जावे।
2. अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा धौलपुर
3. नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय, धौलपुर/जिला न्यायालय धौलपुर की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

25/07/2025 9.00 AM

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर